न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/547

कंवर लाल पुत्र शंकर जाति माली निवासी ग्राम भंवरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
———अपीलान्ट

बनाम

रामलाल आत्मज नारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम भंवरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री श्याम लाल सुमन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 03.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.03.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खाता संख्या नया 74 की खसरा नम्बर 82 की 1.05 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी के स्वयं के खाते व कब्जे काश्त की आराजी है । अप्रार्थी पडोसी खातेदार है जिसके खाते की आराजी खसरा नम्बर 38, 40, 41 एवं 71 की भूमियॉ प्रार्थी के खाते की भूमि के पास ही स्थित हैं । अप्रार्थी का प्रार्थी के खाते की आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है । अप्रार्थी प्रार्थी की भूमि पर बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास करता है । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि यदि दौराने वाद अप्रार्थी ने उक्त भूमि पर ताकत के बल पर कब्जा कर लिया तो प्रार्थी का वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जावेगा ।

3. अतः प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वाद जारी की जावे कि अप्रार्थी प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 82 रकबा 1.05 हैकटर वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा पर उसके किसी भी भाग पर ताकत के बल पर न

तो कब्जा करे और न प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करे तथा प्रार्थी के खेत में होकर रास्ता कायम नहीं करे । प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थी करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.03.2018 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार करते हुए अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2018 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कंवरपुरा में अप्रार्थी अपीलान्ट के खसरा नम्बर 38, 40, 41 व 71 की भूमियॉ हैं जिसमें से खसरा नम्बर 71 में आने का रास्ता खसरा नम्बर 82 एवं खसरा नम्बर 83 की भूमि की मेड पर होकर जाता है जिस भूमि को रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने मेड तोडकर अपने खेत में मिला लिया है और रास्ता बन्द कर दिया है । अन्य कोई रास्ता नहीं होने से अपीलान्ट की भूमि पडत रहने की संभावना है । अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 71 पश्चिम दिशा में स्थित है जिस पर खसरा नम्बर 82 एवं 83 की मेड पर होकर पुराना रास्ता है रेस्पोडेन्ट की खसरा नम्बर 82 की भूमि से अपीलान्ट का अन्य कोई वास्ता नहीं है । मेड पर रास्ता बनाने हेतु अपीलान्ट व अन्य व्यक्तियों ने न्यायालय उप जिला कलक्टर कोटा के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए पेश कर रखा है । पूर्व में खसरा नम्बर 82 व 83 पर जाने–जाने व कृषि औजार ले जाने हेतु खसरा नम्बर 71 में जाने का रास्ता था मेड तोडकर रास्ता बन्द करने से अपीलान्ट को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.03.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजी के बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट प्रतिवादी की खसरा नम्बर 71 में जाने का रास्ता खसरा नम्बर 82 व 83 की मेड पर होकर है जिसे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने मेड तोडकर अपने खेत में मिला लिया है और रास्ता बन्द कर दिया है । इससे अपीलान्ट का भूमि पर आने का रास्ता बन्द हो चुका है । रास्ता नहीं मिलने पर अपीलान्ट की आराजी पडत रहने की संभावना है । अपीलान्ट के पास अन्य कोई रास्ता नहीं है । सुविधा का संतुलन अपीलान्ट के पक्ष में है । अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट के खाते की आराजी में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं । मेड पर होकर अपने खेत में आते–जाते हैं । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.03.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा

188 पेश किया था जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया है कि प्रार्थी की खसरा नम्बर 82 की रकबा 1.05 हैक्टर आराजी वाके ग्राम कंवरपुरा में स्थित है । अप्रार्थी का प्रार्थी के खाते की आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु वो जबरन प्रार्थी के खाते की आराजी पर रास्ता निकालना चाहते हैं । उनके पास आने–जाने का रास्ता पहले से ही दूसरी तरफ विद्यमान है । अतः उन्हें जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट को पाबन्द किया है ।

9. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2070–74 खाता संख्या 74 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 82 की रकबा 1.05 हैक्टर आराजी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज है । नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति भी संलग्न है, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 संलग्न है जिसके अनुसार अपीलान्ट के खाते में खसरा नम्बर 38, 40, 41 एवं 71 कुल 04 किता की 1.15 हैक्टर भूमि दर्ज है । रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी जो कि उनके खाते में दर्ज है के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया था । अपीलान्ट का यह कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 82 की मेड से होकर वो अपने खेत तक आते–जाते हैं और रेस्पोडेन्ट ने इस मेड को फाडकर रास्ता बन्द कर दिया है ।

10. वादग्रस्त आराजी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज है इसलिए प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति की संभावना रेस्पोडेन्ट के पक्ष में हीं तय पायी जाती है । अपीलान्ट यदि ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें रास्ते का सुखाधिकार है जिसे रेस्पोडेन्ट प्रार्थी के द्वारा बन्द कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में वो सक्षम न्यायालय में रास्ते के सुखाधिकार के लिए कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं । वादग्रस्त आराजी जिसके बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है उसका प्रार्थी रेस्पोडेन्ट खातेदार कृषक है । ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को विधि सम्मत मानते हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.03.2018 बहाल रखा जाता है । अपीलान्ट रास्ते के सुखाधिकार के बाबत् सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

12. निर्णय आज दिनांक 03.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

3/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा